कार्यकारी सार

हमने यह जानने के लिए कि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन द्वारा अपने अनुपालन सत्यापन तंत्र, करदाताओं और चूककर्ताओं के वार्षिक विश्लेषण, छूट की निगरानी आदि के माध्यम से राजस्व हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं, हमनें ऑटोमोबाइल्स या उनके पार्ट्स बनाने वाले 239 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच सहित 40 चयनित कमिश्नरियों में निष्पादन लेखापरीक्षा की। ऐसा करते समय, हमनें नियमों की उपयुक्तता और समुचित निर्धारण एवं राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने में वर्तमान निर्देशों को भी देखा।

निष्पादन लेखापरीक्षा में ऑटोमोटिव क्षेत्र से शुल्क के निर्धारण और वसूली से संबंधित अनुपालन मामले के साथ-साथ मौजूदा प्रावधानों, प्रणाली में कुछ कमियों का पता चला।

- चयनित 40 कमिश्नरियों में से 39 ने सूचित किया कि उन्होंने तत्संबंधी क्षेत्र से राजस्व संग्रहण का कोई विश्लेषण नहीं किया था।

  (पैराग्राफ 2.1)

- ऑटोमोटिव क्षेत्र के निर्धारिती द्वारा इस क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और सेनवेट क्रेडिट नियमों के तहत निर्धारित रिटर्न्स की गैर प्रस्तुति/विलम्बित प्रस्तुति।

  (पैराग्राफ 2.2)

- हमनें देखा कि 1,116 निर्धारितियों के लिए मास्टर फाइलें नहीं बनाई गई थी।

  (पैराग्राफ 2.3.1)

- हमनें ` 587.56 करोड़ राजस्व वाले माँग के अधिनिर्णयन में एक वर्ष से पाँच वर्षों तक का विलम्ब देखा।

  (पैराग्राफ 2.6)

- इनपुट/पूँजीगत माल को 'उसी रूप में' निकासी के समय इनपुट सेवाओं से संबंधित समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट विपरीत करने के लिए सेनवेट

क्रेडिट नियमों में प्रावधान का अभाव। हमनें ` 87.37 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 44 मामले देखें।

(पैराग्राफ 2.7)

- इस लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमनें ` 547.93 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के गलत मूल्यांकन के 25 मामले देखे।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.5)

- इस लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमनें ` 6.74 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने के 144 मामले पाए।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.9)

सिफारिशें

- मंत्रालय को निर्धारित तिथि तक आवधिक रिटर्न दाखिल करने हेतु अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामले में निर्धारितियों से विलम्ब शुल्क (जब तक कि उचित कारण बताने पर माफ नहीं कर दिया जाता) का भुगतान करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में प्रावधान करना चाहिए।
- मंत्रालय को निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न्स दाखिल करने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में प्रावधान करना चाहिए।
- मंत्रालय को इनपुट/पूँजीगत माल को 'उसी रूप में' निकासी के समय इनपुट सेवाओं से संबंधित समानुपातिक सेनवेट क्रेडिट की विपरीत के लिए सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004, में प्रावधान करना चाहिए।
- जहाँ छूट दावों का कुल मूल्य ` 5 लाख से अधिक हो, ऐसी तिथि (अथवा निर्धारित अवधि के भीतर) पर प्रस्तुत ऐसे सभी दावों की पूर्व-लेखापरीक्षा के लिए मंत्रालय केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में प्रावधान करने पर विचार करे।

- मंत्रालय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद योग्य माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 10 की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम द्वारा ''होल्डिंग एण्ड सब्सिडिरी संबंध'' के बारे में विचार न करने से अतिरिक्त आवश्यकता थोपता है।
- यह उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रावधान लाए जाने की आवश्यकता है कि अधिनियम की धारा 4(3)(बी) के खण्ड (iv) के उद्देश्य के लिए क्या ''परस्पर कारोबार में हितों की सहभागिता'' का निर्माण होगा जैसाकि नियम में ''अंतर्निहित उपक्रम'', ''समूह'', ''संबंधित व्यक्तियों'', ''उसी प्रबंधन के तहत'' जैसे संदर्भों की व्याख्या की गई है।